न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 309 सन 2021

अनवान :–

1. रणजीतसिह पुत्र रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रलाल पुत्र रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
3. हनुमान प्रसाद पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
4. कृष्ण कुमार पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
5. बनवारीलाल पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
6. मैना पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/434 की कुल 2.4020हैक रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 129/128 की कुल 3.4340हैक व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 160/158 की कुल 3.2890है व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 433/429 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्दराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा चन्दुराम वल्द रामुराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों व पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि रोही मौजा ननाउ की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा चन्दुराम पुत्र रामुमरा ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्व हो चुका है काश्त करने में असमर्थ है ने एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रो/भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चन्दुराम पुत्र रामुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से कुछ भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का पिता है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 , 6 ,7 जो वादी की पिता/बहने ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रो/भाईयों के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/434 की कुल 2.4020हैक रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 129/128 की कुल 3.4340हैक व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 160/158 की कुल 3.2890है व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 433/429 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्दराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा चन्दुराम वल्द रामुराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों व पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि रोही मौजा ननाउ की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा चन्दुराम पुत्र रामुमरा ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्व हो चुका है काश्त करने में असमर्थ है ने एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रो/भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/434 की कुल 2.4020हैक रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 129/128 की कुल 3.4340हैक व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 160/158 की कुल 3.2890है व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 433/429 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी भु0प्रबन्ध विभाग एवं प्रस्तुत चक 5बी बारानी के जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चन्दुराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा चन्दुराम पुत्र रामुराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 1 6 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/434 की कुल 2.4020हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होगा एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 129/128 की कुल 3.4340हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 वा 4 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 160/158 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 433/429 की कुल 6.3230हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रणजीतसिह पुत्र रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्दलाल पुत्र रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रतनाराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
3. हनुमान प्रसाद पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
4. कृष्ण कुमार पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
5. बनवारीलाल पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
6. मैना पुत्री रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
7. सरोज पुत्री रतनाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 309 सन 2021 निर्णय दिनांक– 26/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/434 की कुल 2.4020हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होगा एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 129/128 की कुल 3.4340हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 वा 4 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 160/158 की कुल 3.2890हैक व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 433/429 की कुल 6.3230हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर